कार्यालय :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813

झारखण्ड सरकार

पत्रांक : 01/यो0बजट–10/2016– 920 दिनांक : 29.06.2016

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची/ गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा/ देवघर वन प्रमण्डल, देवघर/ गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह/ गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह/ धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद/ बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो/ रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़/ राँची वन प्रमण्डल, राँची

विषय :– वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2018–19 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की जाने वाली ''अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण'' योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत बाँस गैबियन से पंचायत भवन, बाँस गैबियन से स्कूल, कॉलेज एवं अन्य सरकारी संस्थानों, लम्बे पौधों से चाहरदिवारीयुक्त संस्थानों तथा लौह गैबियन से शहरी क्षेत्र में वृक्षारोपण का अग्रिम–सह–समापन कार्य के लिए कुल **रू0 524.404 लाख (पाँच करोड़ चौबीस लाख चालीस हजार चार सौ रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंगः– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0–21/2016– 20/स्वी0 व0प0 दिनांक 28.06.2016 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 4/यो0ब0–21/2016– 52/आ0 व0प0 दिनांक 28.06.2016 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष– 102 समाज तथा फार्म वानिकी, उप शीर्ष–59–अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रू0 524.404 लाख (पाँच करोड़ चौबीस लाख चालीस हजार चार सौ रूपये) मात्र** का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19P240601102590103	258.138
आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601102590323	266.266
कुल :–		**524.404**

F:\DEVELOPMENT\2016-17\Allotment\OA\RSP\Advance work (5)\RSP Advance work (2016-17)-5 (OA).doc

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत्यादेश के **अनुलग्नक–1 (क) से (घ)** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक–2 (क) से (ग)** एवं ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या– पी0 19P240601102590103 तथा पी0 19P240601102590323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं सबंधित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रसार वानिकी/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति इस कार्यालय को अभिलेख हेतु प्रेषित करेंगे।

5. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जयेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथ ततद् संबंधी पत्र–परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम–300 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

7. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी द्वारा स्थल विशेष योजना तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करते हुए इस कार्यालय में समर्पित करने के उपरान्त ही आवंटित राशि व्यय की जाय।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो एवं पंचायत, स्कूल/कॉलेज, सी0आर0पी0एफ0, पुलिल लाईन आदि, लौह गैबियन से संबंधित स्थल विशेष प्राक्कलन तैयार की जायेगी एवं समापन प्रतिवेदन में वास्तविक रूप से रोपित पौधों से संबंधित प्रतिवेदन इस कार्यालय को समर्पित करेंगे।

9. मजदूरों का भुगतान श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मजदूरी दर के अनुरूप किया जायेगा तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदरों का भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा।

10. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरूद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

11. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसा के अनुसार की जायेगी।

12. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, कि दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

14. बाँस गैबियन में कम से कम पाँच फीट औसत ऊँचाई के काष्ठ, फल एवं शोभदार प्रजाति के पौधें वृक्षों का रोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण योजना के सामपन वर्ष में औसत 8 फीट सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) के अन्त में औसत 11 फीट एवं चतुर्थ वर्ष (द्वितीय सम्पोषण कार्य) में 15 फीट औसत ऊँचाई प्राप्त किया जायेगा।

15. रोपित पौधों/ वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/ सत्यापन असम्बद्ध प्रमण्डल से कराई जायेगी।

16. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

17. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजनान्तर्गत वृक्षारोपण हेतु एक ही स्थल/ पथ आदि पर पूर्व स्वीकृत योजना द्वारा भी वृक्षारोपण आदि का कार्य न हो।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

विश्वासभाजन,

28/4/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

10. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरूद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

11. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसा के अनुसार की जायेगी।

12. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, कि दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

14. बाँस गैबियन में कम से कम पाँच फीट औसत ऊँचाई के काष्ठ, फल एवं शोभदार प्रजाति के पौधें वृक्षों का रोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण योजना के सामपन वर्ष में औसत 8 फीट सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) के अन्त में औसत 11 फीट एवं चतुर्थ वर्ष (द्वितीय सम्पोषण कार्य) में 15 फीट औसत ऊँचाई प्राप्त किया जायेगा।

15. रोपित पौधों/ वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/ सत्यापन असम्बद्ध प्रमण्डल से कराई जायेगी।

16. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

17. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजनान्तर्गत वृक्षारोपण हेतु एक ही स्थल/ पथ आदि पर पूर्व स्वीकृत योजना द्वारा भी वृक्षारोपण आदि का कार्य न हो।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–10/2016– 920** दिनांक– **29.06.2016**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, संथाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्र–राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

28/6/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

F:\DEVELOPMENT\2016-17\Allotment\OA\RSP\Advance work (5)\RSP Advance work (2016-17)-5 (OA).doc

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–10/2016– 920** दिनांक– **29.06.2016**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, संथाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्र–राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

ह0/–
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–10/2016– 920** दिनांक– **29.06.2016**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, देवघर/ कोषागार पदाधिकारी, चाईबासा/ कोषागार पदाधिकारी, जमशेदपुर/ कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/ कोषागार पदाधिकारी, गोड्डा/ कोषागार पदाधिकारी, गिरिडीह/ कोषागार पदाधिकारी, धनबाद/ कोषागार पदाधिकारी, बोकारो/ कोषागार पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

28/6/2016
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–1 (क)

वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत पंचायत भवन की पूर्णता/ कार्यशिलता के प्रत्येक पंचायत में 10 बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का अग्रिम–सह–समापन कार्य का जिला एवं प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : रू0 221.61 प्रति मानव दिवस)

क्र0 सं0	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	पंचयात भवन की पूर्णता/ कार्यशिलता की स्थिति	भौतिक लक्ष्य बाँस गैबियन (संख्या में)	वित्तीय वर्ष 2016–17 (अग्रिम–सह–समापन कार्य)		
					मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
					753.47	**469.90**	**1223.37**
i	**ii**	**iii**	**iv**	**v**	**vi**	**vii**	**viii**
1	देवघर	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर	194	1940	14.617	9.116	23.733
3	पश्चिमी सिंहभूम	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा	124	1240	9.343	5.827	15.170
4	पूर्वी सिंहभूम	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर	134	1340	10.096	6.297	16.393
5	गोड्डा	गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	163	1630	12.282	7.659	19.941
6	गिरिडीह	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	119	1190	8.966	5.592	14.558
7	गिरिडीह	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	118	1180	8.891	5.545	14.436
8	धनबाद	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	198	1980	14.919	9.304	24.223
9	बोकारो	बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	228	2280	17.179	10.714	27.893
10	रामगढ़	रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़	52	520	3.919	2.443	6.362
योग :–			**1330**	**13300**	**100.213**	**62.497**	**162.709**

Sd/- 28/12/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत प्रत्येक स्कूल, कॉलेज एवं अन्य सरकारी संस्थानों में बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का अग्रिम–सह–समापन कार्य का जिला एवं प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर रू0 221.61 प्रति मानव दिवस)

क्र0 सं0	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य बाँस गैबियन (संख्या में)	वित्तीय वर्ष 2016–17 (अग्रिम–सह–समापन कार्य)		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
				753.47	**469.90**	**1223.37**
i	**ii**	**iii**	**iv**	**v**	**vi**	**vii**
1	देवघर	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर	750	5.651	3.524	9.175
2	पश्चिमी सिंहभूम	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा	1000	7.535	4.699	12.234
3	पूर्वी सिंहभूम	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर	500	3.767	2.350	6.117
4	गोड्डा	गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	1000	7.535	4.699	12.234
5	देवघर	देवघर वन प्रमण्डल, देवघर	750	5.651	3.524	9.175
6	गिरिडीह	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	500	3.767	2.350	6.117
7	गिरिडीह	गिरिडीह पश्0 वन प्रमण्डल, गिरिडीह	500	3.767	2.350	6.117
8	धनबाद	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	1000	7.535	4.699	12.234
9	बोकारो	बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	1500	11.302	7.049	18.351
10	रामगढ़	रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़	1000	7.535	4.699	12.234
योग :–			**8500**	**64.045**	**39.942**	**103.987**

(signature) 2/8/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–1 (ग)

वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत सी0आर0पी0एफ0/ राज्य पुलिस/ मिलीट्री कैम्पस/ अन्य वैसे जगहों पर जहाँ चहारदिवारी एवं सुरक्षा सुनिश्चित हो, लम्बे पौधों से वृक्षारोपण का अग्रिम–सह–समापन कार्य का जिला एवं प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : रू0 221.61 प्रति मानव दिवस)

क्र0 सं0	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य लम्बे पौधे (संख्या में)	वित्तीय वर्ष 2016–17 (अग्रिम–सह–समापन कार्य)		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
				443.22	**119.00**	**562.22**
i	ii	iii	v	vi	vii	viii
1	देवघर	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर	500	2.216	0.595	2.811
2	पश्चिमी सिंहभूम	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा	2000	8.864	2.380	11.244
3	पूर्वी सिंहभूम	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर	750	3.324	0.893	4.217
4	गोड्डा	गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	500	2.216	0.595	2.811
5	देवघर	देवघर वन प्रमण्डल, देवघर	2500	11.082	2.974	14.056
6	गिरिडीह	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	750	3.324	0.893	4.217
7	गिरिडीह	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	750	3.324	0.893	4.217
8	धनबाद	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	1000	4.432	1.190	5.622
9	बोकारो	बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	1500	6.648	1.785	8.433
10	रामगढ़	रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़	1500	6.648	1.785	8.433
योग :–			**11750**	**52.078**	**13.983**	**66.061**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–1 (घ)

वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" (पुरानी– पथतट रोपण–सह–शहरी वानिकी) योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत लौह गैबियन से वृक्षारोपण का अग्रिम–सह–समापन कार्य का जिला एवं प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : रू0 221.61 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	लौह गैबियन (संख्या में)	वित्तीय वर्ष 2016–17 (अग्रिम–सह–समापन कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			520.78	**1866.75**	**2387.53**
i	**ii**	**iii**	**vi**	**v**	**vi**
1	राँची वन प्रमण्डल, राँची	2000	10.415	37.334	47.749
2	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	500	2.604	9.334	11.938
3	रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़	500	2.604	9.334	11.938
4	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	500	2.604	9.334	11.938
5	बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	500	2.604	9.334	11.938
6	देवघर वन प्रमण्डल, देवघर	1500	7.812	28.001	35.813
7	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची	2527	13.160	47.172	60.332
योग :–		**8027**	**41.803**	**149.843**	**191.646**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–2 (क)

कार्य दर तालिका (प्रति गैबियन)

पथतट / संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस –गैबियन में वृक्षारोपण

1. बाँस–गैबियन का आकारः 6'-6"x2'-6"x2'-6"   2. स्पेसिंग – पंक्ति से पंक्ति की दूरी – 3 मी0

– पौधे से पौधे की दूरी – 8 मी0

क्र0 सं0	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस (प्रति हे0)	मजदूरी, (रू0)	सामग्री प्रति हे0	कुल व्यय (रू0)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2016–17 में अग्रिम–सह–समापन कार्य मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 221.61 रू0 प्रति मानव दिवस						
1	घेरान कार्य						
क	बाँस का खूँटा –4 अदद (खूँटे की लंबाई 6'–6'') एवं जाफरी हेतु बाँस (कुल 3 बाँस @ 80.00 रू. ; प्रति बाँस) ढुलाई सहित		0.00	0.00	240.00	**240.00**	
ख	जाफरी का निर्माण एवं खूँटों में जाफरी को लगाना		1.00	221.61	0.00	**221.61**	
ग	खूँटों की कोलतार / ब्लैक जापान/ब्लैक पेन्ट से रंगाई		0.20	44.32	6.00	**50.32**	
घ	जाफरी की हरे एवं लाल पेंट से रंगाई		0.30	66.48	90.00	**156.48**	
ड.	गैबियन का खूँटा लगाने हेतु एकरेखन, आवश्यकतानुसार समतलीकरण एवं खूँटा लगाने हेतु 1'x1'x1'-6" आकार के 4 गढ़ो को खोदना तथा खोदी गई मिट्टी को समुचित स्थल पर संचित करना		0.20	44.32	0.00	**44.32**	
च	जाफरी सहित खूँटा लगाना–4 खूँटा –20 खूँटा प्रति मानव दिवस (ढुलाई सहित)		0.20	44.32	15.00	**59.32**	
छ	जाफरी हेतु			0.00		**0.00**	
	(1) तार 100 ग्राम (67/– रू. प्रति किलोग्राम)		0.00	0.00	6.70	**6.70**	
	(2) कांटी 300 ग्राम (69/– रू. प्रति किलोग्राम)		0.00	0.00	20.70	**20.70**	
2	मृदा कार्य : पौधा लगाने हेतु 1'6"x1'6"x1'6" आकार का गड्ढा बनाना एवं खोदी गई मिट्टी को समुचित स्थल पर संचित करना		0.10	22.16	0.00	**22.16**	
1	पौधों का मूल्य, मृत पौधों के प्रतिस्थापन हेतु 20 प्रतिशत अतिरिक्त पौधों के प्रावधान के साथ स्थल पर ढुलाई सहित		0.00	0.00	20.00	**20.00**	पौधों का क्रय विभागीय लम्बे पौधों की नर्सरी से किया जाएगा।
2	गड्ढ़े में डालने हेतु बालू एवं गोवर खाद का क्रय एवं मिश्रण बनाना ;1बजि बालू, बजि वर्णित कम्पोस्ट मिट्टी के साथ)		0.15	33.24	20.00	**53.24**	
3	पौधारोपण (DAP-50 ग्राम तथा कीटनाशक 4 ग्राम)		0.10	22.16	2.00	**24.16**	
4	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम– 5ग्रा. युरिया5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीयः 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीयः 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव		0.15	33.24	4.50	**37.74**	
5	पटवन (रिक्शा/ठेला द्वारा)		0.50	110.81	25.00	**135.81**	
6	सुरक्षा		0.50	110.81	0.00	**110.81**	
7	साईन–बोर्ड एवं गैबियन नंबरिंग प्रति गैबियन		0.00	0.00	20.00	**20.00**	
	योग		**3.40**	**753.47**	**469.90**	**1223.37**	

क्र0 सं0	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस (प्रति हे0)	मजदूरी, (रू0)	सामग्री प्रति हे0	कुल व्यय (रू0)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(C)	वित्तीय वर्ष 2017–18 में संपोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 254.85 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2016–17						
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम– 5ग्रा. युरिया5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीयः 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीयः 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव		0.15	38.23	4.50	**42.73**	
2	पटवन (रिक्शा/ठेला द्वारा)		0.50	127.43	5.00	**132.43**	
3	बाँस गैबियन का मरम्मती एवं सुरक्षा		0.50	127.43	0.00	**127.43**	
	योग		**1.15**	**293.08**	**9.50**	**302.58**	
(D)	वित्तीय वर्ष 2018–19 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 293.08 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2017–18						
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम– 5ग्रा. युरिया 5ग्राम कीटनाशक; द्वितीयः 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीयः 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव		0.15	43.96	4.50	**48.46**	
2	पटवन (रिक्शा/ठेला द्वारा)		0.50	146.54	5.00	**151.54**	
3	बाँस गैबियन का मरम्मती एवं सुरक्षा		0.50	146.54	60.00	**206.54**	
	योग		**1.15**	**337.04**	**69.50**	**406.54**	
	कुल योग		**5.70**	**1383.59**	**548.90**	**1932.49**	

29/8/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

पथतट / संस्थानों आदि की भूमि पर बिना घेरान के लम्बे पौधों का वृक्षारोपण (वर्षाकालीन वृक्षारोपण)

2. स्पेसिंग– पंक्ति से पंक्ति की दूरी – 3 मी0
पौधे से पौधे की दूरी – 5 मी0

3. मजदूरी दर– रू0 221.61

क्रम संख्या	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रु0 में)	कुल व्यय (रू0 में)
1	2	3	4	5	6	7
(A)	वित्तीय वर्ष 2016–17 में अग्रिम–सह–समापन कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 221.61					
3	मृदा कार्य : पौधा लगाने हेतु 1.5'x1.5'x1.5' आकार का गड्ढा बनाना एवं खोदी गई मिट्टी को समुचित स्थल पर संचित करना	प्रति पौधा	0.10	22.16	0.00	22.16
4	पौधों का मूल्य, मृत पौधों के प्रतिस्थापन हेतु 10 प्रतिशत अतिरिक्त पौधों के प्रावधान के साथ स्थल पर ढुलाई सहित (पौधों का साईज 8 फीट से 10 फीट) (50% पौधे का क्रय 75.00 रू0 प्रति पौधा की दर से)	प्रति पौधा	0.00	0.00	47.50	47.50
4	पौधों का मूल्य, मृत पौधों के प्रतिस्थापन हेतु 10 प्रतिशत अतिरिक्त पौधों के प्रावधान के साथ स्थल पर ढुलाई सहित (पौधों का साईज 5 फीट से 7 फीट) (50% पौधे का क्रय 20.00 रू0 प्रति पौधा की दर से स्थाई पौधशाला से)	प्रति पौधा				
5	गड्ढ़े में डालने हेतु बालू एवं गोवर खाद का क्रय एवं मिश्रण बनाना (बालू, वर्मी कम्पोस्ट मिट्टी के साथ)	प्रति पौधा	0.15	33.24	20.00	53.24
6	पौधारोपण (DAP-50 ग्राम तथा कीटनाशक 4 ग्राम)	प्रति पौधा	0.10	22.16	2.00	24.16
7	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम– 5ग्रा. युरिया5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीयः 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीयः 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव	प्रति पौधा	0.15	33.24	4.50	37.74
8	पटवन (रिक्शा / ठेला द्वारा)	प्रति पौधा	1.00	221.61	25.00	246.61
9	सुरक्षा	प्रति पौधा	0.50	110.81	0.00	110.81
9	साईन–बोर्ड एवं गैबियन नंबरिंग	प्रति पौधा	0.00	0.00	20.00	20.00
	योग		2.00	443.22	119.00	562.22
(B)	वित्तीय वर्ष 2017–18 में संपोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 254.85 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2016–17 को आधार मानते हुए					
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम– 5ग्रा. युरिया5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीयः 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीयः 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव	प्रति पौधा	0.15	38.23	4.50	42.73
2	पटवन (रिक्शा / ठेला द्वारा)	प्रति पौधा	0.50	127.43	5.00	132.43
3	सुरक्षा	प्रति पौधा	0.50	127.43	0.00	127.43
	योग		1.15	293.08	9.50	302.58
(C)	वित्तीय वर्ष 2018–19 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 293.08 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2017–18 को आधार मानते हुए					
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम– 5ग्रा. युरिया 5ग्राम कीटनाशक; द्वितीयः 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीयः 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव	प्रति पौधा	0.15	43.96	4.50	48.46
2	पटवन (रिक्शा / ठेला द्वारा)	प्रति पौधा	0.50	146.54	5.00	151.54
3	सुरक्षा	प्रति पौधा	0.50	146.54	0.00	146.54
	योग		1.15	337.04	9.50	346.54
	कुल योग		4.30	1073.34	138.00	1211.34

नोट स्कूल, कॉलेज एवं अन्य संस्थानों में सामान्यतः एक प्रजाति को पौधों का रोपण किया जाय।

21/6/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम– पथतट / संस्थानों आदि की भूमि पर लोहा –गैबियन वृक्षारोपण (वर्षाकालीन वृक्षारोपण)

1. लोहा गैबियन का आकार: 5'x2'x2'
2. स्पेसिंग– पंक्ति से पंक्ति की दूरी – 3 मी0; पौधे से पौधे की दूरी – 5 मी0
3. मजदूरी दर– रू0 221.61

कम संख्या	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रु0 में)	कुल व्यय (रू0 में)
1	2	3	4	5	6	7
(A)	वित्तीय वर्ष 2016–17 में अग्रिम–सह–समापन कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 221.61					
1	घेरान कार्य					
1A	लोहे का गोलाकार गैबियन (दो भागों में खुलने वाला) साईज (6' x 9" लम्बाई व्यास 2' तीन सेन्ट्रल पिलर एवं तीन सर्पोट पिलर तथा 3 गोलाकार पत्ती (पत्ती साईज 20mmx5mm)	प्रति गैबियन	0.20	44.32	1700.00	**1744.32**
1B	M.S. वायर मैस 5'0"x6'x0" =30 वर्ग फिट (12 गेज साइज 1"X2")					
1C	M.S. सीट for बोंड 6"x18"x18 गेज					
1D	नट–बोल्ट आदि 6 नं0					
1E	प्राइमर एवं पेंट (पीला)					
2	गैबियन का खूँटा गाड़ने हेतु एकरेखन, आवश्यकतानुसार समतलीकरण एवं खूँटा गाड़ने हेतु 9"x6"x6" आकार के 3 गढ़ो को खोदना तथा पी.सी.सी. का ढ़लाई (1:3:6)	प्रति गैबियन	0.15	33.24	20.25	**53.49**
3	मृदा कार्य : पौधा लगाने हेतु 1.5'x1.5'x1.5' आकार का गड्ढा बनाना एवं खोदी गई मिट्टी को समुचित स्थल पर संचित करना	प्रति गैबियन	0.10	22.16	0.00	**22.16**
4	पौधों का मूल्य, मृत पौधों के प्रतिस्थापन हेतु 10 प्रतिशत अतिरिक्त पौधों के प्रावधान के साथ स्थल पर ढुलाई सहित (पौधों का साईज 6 फीट से 8 फीट)	प्रति गैबियन	0.00	0.00	75.00	**75.00**
5	गड्ढ़े में डालने हेतु बालू एवं गोबर खाद का क्रय एवं मिश्रण बनाना (बालू, वर्मी कम्पोस्ट मिट्टी के साथ)	प्रति गैबियन	0.15	33.24	20.00	**53.24**
6	पौधारोपण (DAP-50 ग्राम तथा कीटनाशक 4 ग्राम)	प्रति गैबियन	0.10	22.16	2.00	**24.16**
7	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम– 5ग्रा. युरिया5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव	प्रति गैबियन	0.15	33.24	4.50	**37.74**
8	पटवन (रिक्शा / ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	1.00	221.61	25.00	**246.61**
9	सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	110.81	0.00	**110.81**
9	साईन–बोर्ड एवं गैबियन नंबरिंग	प्रति गैबियन	0.00	0.00	20.00	**20.00**
	योग		**2.35**	**520.78**	**1866.75**	**2387.53**
(B)	वित्तीय वर्ष 2017–18 में संपोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 254.85 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2016–17 को आधार मानते हुए					
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम– 5ग्रा. युरिया5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव	प्रति गैबियन	0.15	38.23	4.50	**42.73**
2	पटवन (रिक्शा / ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	127.43	5.00	**132.43**
3	सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	127.43	0.00	**127.43**
	योग		**1.15**	**293.08**	**9.50**	**302.58**

क्रम संख्या	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रु0 में)	कुल व्यय (रू0 में)
1	2	3	4	5	6	7
(C)	वित्तीय वर्ष 2018–19 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 293.08 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2017–18 को आधार मानते हुए					
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम– 5ग्रा. युरिया 5ग्राम कीटनाशक; द्वितीयः 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीयः 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव	प्रति गैबियन	0.15	43.96	4.50	**48.46**
2	पटवन (रिक्शा/ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	146.54	5.00	**151.54**
3	सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	146.54	0.00	**146.54**
	योग		**1.15**	**337.04**	**9.50**	**346.54**
	कुल योग		**4.65**	**1150.90**	**1885.75**	**3036.65**

नोट (1) शहरों में सड़कों के किनारे एक सड़क पर सामान्यतः एक प्रजाति को पौधों का रोपण किया जाय।

(2) लौह गैबियन पर संख्या अंकित की जाएगी।

(3) लौह गैबियन में प्रकाष्ठ प्रजाति, फलदार एवं शोभाकार पौधों का रोपण किया जाएगा।

28/01/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है ।

पत्र संख्या - 01/YB-10/2016/920 दिनांक - 29-Jun

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	42085	DGRFORE87 MANEL TUDU D.F.O. S.F.DIV.. DGR	2,248,400.00 रुपये बाइस लाख अडतालीस हजार चार सौ
2	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	42086	SGHFOR001 SRI. LAXMI NATH BARAIK D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	2,574,200.00 रुपये पच्चीस लाख चौहत्तर हजार दो सौ
3	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	42088	JSRFOR116 SHIV KR PRASAD D.F.O.ADITYAPUR S.F.DIV.JSR.	1,718,700.00 रुपये स त्र ह लाख अठारह हजार सात सौ

योग: 6,541,300.00

क्रमिक योग: रुपये पैसठ लाख इकतालीस हजार तीन सौ

28/06/2016

(SHRI Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)
ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

पत्र संख्या - 01/YB-10/2016/920 दिनांक - 29-Jun

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	42089	DRNFWL004 BIMAL LAKRA DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	1,316,000.00 रुपये तेरह लाख सोलह हजा
5	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	42090	GDDFOR164 RAM BHARAT DFO GODDA FOREST DIVISION	2,203,300.00 रुपये बाइस लाख तीन हजार तीन सं
6	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	42092	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	2,454,500.00 रुपये चौइस लाख चौपन हजार पॉच सं
7	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	42093	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	1,866,100.00 रुपये अठारह लाख छाछठ हजार एक सं

योग: 7,839,900.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड तीरयालीस लाख इक्कयासी हजार दो सौ 14,381,200.00

29/6/2016

(SHRI Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)
ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND
RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-10/2016/920 दिनांक - 29-Jun

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
8	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	42094	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	1,598,200.00 रुपये पंद्रह लाख अठानवे हजार दो सौ
9	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	42095	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	2,949,000.00 रुपये उन्तीस लाख उनचास हजार
10	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	42096	BKRFOR001 P.R. NAIDU D F O, BOKARO	3,773,300.00 रुपये सैतीस लाख तीहत्तर हजार तीन सौ
11	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	42098	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER	2,070,600.00 रुपये बीस लाख सत्तर हजार छः सौ

योग: 10,391,100.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड सैतालीस लाख बहत्तर हजार तीन सौ 24,772,300.00

28/6/2016

(SHRI Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)
ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND
RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-10/2016/920 दिनांक - 29-Jun

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	42099	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	1,041,500.00 रुपये दस लाख इकतालीस हजार पॉच सौ
13	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	42102	DGRFORE87 MANEL TUDU D.F.O. S.F.DIV.. DGR	1,323,500.00 रुपये तेरह लाख तेइस हजार पॉच सौ
14	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	42103	SGHFOR001 SRI. LAXMI NATH BARAIK D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	1,290,600.00 रुपये बारह लाख नब्बे हजार छः सौ
15	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	42105	JSRFOR116 SHIV KR PRASAD D.F.O.ADITYAPUR S.F.DIV.JSR.	954,000.00 रुपये नौ लाख चौपन हजार

योग: 4,609,600.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड तिरनवे लाख इक्कयासी हजार नौ सौ 29,381,900.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)
ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND
RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-10/2016/920 दिनांक - 29-Jun

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	42108	DRNFWL004 BIMAL LAKRA DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	4,717,200.00 रुपये सैतालीस लाख स त्र ह हजार दो सौ
17	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	42109	GDDFOR164 RAM BHARAT DFO GODDA FOREST DIVISION	1,295,300.00 रुपये बारह लाख पिनचानवे हजार तीन सौ
18	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	42110	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	3,449,900.00 रुपये चौतीस लाख उनचास हजार नौ सौ
19	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	42111	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	1,816,900.00 रुपये अठारह लाख सोलह हजार नौ सौ

योग: 11,279,300.00

क्रमिक योग: रुपये चार करोड छः लाख इकसठ हजार दो सौ 40,661,200.00

28/6/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

 172.16.20.1 RANCHI Run Date: 29/6/2016

पत्र संख्या - 01/YB-10/2016/920 दिनांक - 29-Jun

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
20	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	42113	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	878,800.00 रुपये आठ लाख अठहत्तर हजार आठ सौ
21	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	42114	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	2,452,700.00 रुपये चौइस लाख बावन हजार सात सौ
22	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	42115	BKRFOR001 P.R. NAIDU D F O, BOKARO	2,888,200.00 रुपये अठाइस लाख अठयासी हजार दो सौ
23	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	42116	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER	1,826,100.00 रुपये अठारह लाख छब्बीस हजार एक सौ

योग: 8,045,800.00

क्रमिक योग: रुपये चार करोड सित्यासी लाख सात हजार 48,707,000.00

29/6/2016

(SHRI Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)
ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND
RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-10/2016/920

दिनांक - 29-Jun

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
24	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	42117	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	3,733,400.00 रुपये सैतीस लाख तैतीस हजार चार सौ

योग: 3,733,400.00

क्रमिक योग: रुपये पॉच करोड चौइस लाख चालीस हजार चार सौ 52,440,400.00

29/6/2016

(SHRI Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

 172.16.20.1 RANCHI Run Date: 29/6/2016